

उप मुख्यमंत्री और वनमंत्री करन्दोला समाधान शिविर में हुए शामिल

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान रविवार की शाम को उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा साथ में वनमंत्री केदार कश्यप करन्दोला में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। समाधान शिविर को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का विभागीय अधिकारी उत्साह के साथ निराकरण कर जानकारी दे रहे हैं, यह आम नागरिकों को तत्काल सुविधा देने की पहल है। इस दौरान उन्होंने करन्दोला में महतारी सदन के लिए 29 लाख की घोषणा भी की।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के हितों को ध्यान रखकर जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने कहा कि समाधान शिविर में



आवेदन पर विभागीय अधिकारी तत्काल निराकरण कर रहे हैं इसका जरूर लाभ लें।

कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों

को प्रमाण पत्र, आवास की स्वीकृति आदेश पत्र, दिव्यांगजनों को ट्राई सायकल, किसानों को बीज वितरण भी किए। कार्यक्रम

में प्रभारी मंत्री और वन मंत्री ने विभागीय स्टालों का निरीक्षण

किया और प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति का जायजा लिया।

कार्यक्रम में जगदलपुर नगर निगम महापौर संजय पाण्डेय, जनपद पंचायत बस्तर के अध्यक्ष

संतोष बघेल, जिला और जनपद पंचायत के सदस्य, कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिंहा, जिला पंचायत

सीईओ प्रतीक जैन सहित ब्लाक के अधिकारी उपस्थित रहे।

बस्तर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित, प्रशिक्षण देकर तैयार करेंगे वालेंटियर

जिले के नागरिकों से वालेंटियर बनने मंगाया गया आवेदन

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। आतंकवाद के खिलाफ देश में चल रहे 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सिविल डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है। प्रदेश के राज्य के नौ शहरों को 'सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट' घोषित करने की तैयारी है। इन जिलों में जगदलपुर और दतेवाड़ा शामिल हैं। प्रारंभिक क्रियान्वयन के बाद सभी जिलों में लगभग 2,700 वालेंटियर तैयार किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार हाल ही में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज गुिंगुआ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

नगर सेनानी एवं एसडीएस सेनानी एसके मार्बल ने बताया कि वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष में भारतीय बाईर पर हो रही घटनाक्रम को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक माय भारत पर रजिस्ट्रेशन हेतु, डॉक्टर, एनसीसी, एनएसएस, ईजीनियर केबल



ऑपरेशन, टेलीफोन ऑपरेशन, नर्स, वेल्डर, नाविक, ड्राइवर, वकील, श्रमिक, कृषक, सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी तथा अन्य आम नागरिक स्वयंसेवक बनने अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि माय भारत के पोर्टल, जिला सेनानी, नगर सेना, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं जगदलपुर छत्तीसगढ़ में उपस्थित होकर आवेदन प्राप्त कर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07782-264170 पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वार्षिक प्रशिक्षण और रिकॉर्ड अपडेट

नीति के अनुसार हर जिले से 300 वालेंटियरों का चयन कर उन्हें

दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण हर वर्ष दोहराया जाएगा और सभी वालेंटियरों के रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। केंद्र

सरकार ने सभी 33 जिलों में चेतावनी सायरन लगाने का निर्देश दिया है। हर जिले को चार से पांच सायरन यूनिट प्राप्त होंगी, जिन्हें एसडीआरएफ के माध्यम से

समाधान शिविर में पहुंचे महापौर संजय पाण्डेय

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। सुशासन तिहार के अंतर्गत आज भगत सिंह स्कूल, लालबाग मैदान के पास नगर निगम जगदलपुर के द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में कुल 6 वार्ड शामिल किए गए थे। इनमें वीर सावरकर वार्ड, भगत सिंह वार्ड, सिविल लाइन वार्ड, लाल बहदुर शास्त्री वार्ड, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड, चंद्रशेखर आजाद वार्ड शामिल हैं। 6 वार्डों से कुल 452 आवेदन प्रस्तुत हुए थे, जिनमें से 451 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। एक प्रकरण लंबित है, जिसका निराकरण शीघ्र कर लिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर संजय पाण्डे थे। इस दौरान नगर निगम के सभापति खेम सिंह देवांगन के साथ एमआईसी सदस्यगण, पार्षद व वार्डवासी मौजूद रहे।



संचालित किया जाएगा। इनका उपयोग आपातकालीन स्थितियों में तेज और प्रभावी संचार के लिए किया जाएगा।

यथा होता है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट?

श्री मार्बल ने बताया कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे विशेष जिले होते हैं जो आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक संचालन, हवाई हमले की चेतावनी, ब्लैकआउट अभ्यास, और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन जिलों में नागरिकों, छात्रों, वालेंटियरों और सुरक्षाबलों को प्रशिक्षित किया जाता है।

शहर में निकली श्री सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा



श्रद्धालुओं ने आत्मीयता से किया रथ का स्वागत और पूजा अर्चना

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। श्री सत्य साई अवतार की शताब्दी समारोहों का स्मरणोत्सव, श्री सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी नाम से एक पवित्र रथ यात्रा के माध्यम से दैवीय प्रेम के अनंत सन्देश से सम्पूर्ण देश में विस्तारित की जा रही है। आराधना महोत्सव 2025 अर्थात अप्रैल-24-2025 से रथ यात्रा प्रारंभ है और नवम्बर 2026 को प्रशांति निलय में उच्चतम स्थान पर पहुंचेगी। रथ में स्वामी की फोटो और अभिमंत्रित पादुका रखा गया

है, त्यामी के प्रमुख संदेशों जिसका केन्द्र प्रेम और एकता से सुज्जित है। रुकने के स्थान पर एक स्टैंडर्ड वीडियो फिल्म प्रदर्शित किया गया और प्रामाणिक साहित्य वितरित किया गया। स्वामी की पाकिट साइज फोटो और विभूति का वितरण किया गया। पुष्प के अतिरिक्त अन्य कोई चढ़ावा नहीं है एवं भक्तों द्वारा आरती किया गया। पूरे अनुशासन और पवित्रता के साथ रथ का संचालन होगा जिसका उत्तरदायित्व श्री सत्य साई सेवादल का रहा। यह पवित्र यात्रा दैवीय प्रेम का सूचक है, जो न केवल एक सन्देश है, वरन श्री सत्य साई का यथार्थतः निष्कर्ष है, यह यात्रा भगवान के समयातीत अतिगम्भीर संदेश का स्मरण करायेंगा, प्रेम ही संज्ञा है, प्रेम ही मार्ग है। और प्रेम

ही लक्ष्य है। सत्य साई बाबा कहते हैं। मैं तुम्हारे हृदयों में प्रेम का दीपक जलाने आया हूँ, देखो दिन प्रति दिन परिवर्धित क्रांति के साथ चमकती रहे। मैं किसी विशेष धर्म (मत) की ओर से कहने के लिए नहीं आया हूँ। मैं प्रचार के किसी मिशन किसी पथ या धर्म उद्देश्य के लिए नहीं आया हूँ, न ही मैं अनुयायियों को किसी मत हेतु एकत्रित करने के लिए आया हूँ। शिष्यों या भक्तोंको अपने मत या किसी धर्म के लिए एकत्रित करने की मेरी कोई योजना नहीं है। स्वामी की कीर्ति प्रसिद्धि और पवित्रता, प्रचार से प्राप्त नहीं की गई है। वे स्वामी द्वारा किये गये कार्यों का परिणाम है, मेरा प्रचार से कोई संबंध नहीं है, केवल कर्म से गणना होती है।

महासंघ के बैनर तले राजधानी में धरना-प्रदर्शन के बाद सौंपा ज्ञापन

मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं करने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। शासन द्वारा समर्थन मूल्य धान खरीदी बंद हुए 3 महीने बाद भी उपार्जन केंद्रों का मिलान नहीं हुआ है। मार्किट की लापरवाही के कारण उपार्जन केंद्रों से धान का समय पर उठाव नहीं होने से सैकड़ों किंटल धान सुकत हुई है, इसके चलते धान की कमी सामने आई है। प्रबंधक संघ द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 19 मई को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। राजधानी में आयोजित धरना प्रदर्शन में बस्तर जिले के सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों ने शामिल होकर संघ की आवाज बुलंद किया।

छग सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों ने राजधानी में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर मुख्य सचिव छग शासन ने 12 नवम्बर 2024 को आदेश जारी किया गया था कि यदि एक माह के पश्चात संपूर्ण धान का उठाव नहीं हुआ तो



वित्त विभाग द्वारा भरपाई की जायेगी। पंजीयक कलदीप शर्मा के द्वारा 11 नवंबर 2024 को लंघित तीन रात्रीय मांगों की सहकारिता सचिव छग शासन को अन्तर विभागीय कमेटी गठित करने का आग्रह लिखित में जारी किया गया था। परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि छह माह व्यतीत हो जाने के बावजूद खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदी की गई लाखों किंटल धान खरीदी के बाद आसमान के नीचे है। जो समितियों से परिवहन कराना आज भी बाकी

है। जिससे धान की सुखत भारी भरकम हो रही है जिसमें कर्मचारियों को दोषी बताकर एफआईआर एवं बरखास्तरगी की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही तत्काल रोक लगाई जावे। अन्तर विभागीय कमेटी की लाभ कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होने से कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश एवं निराशा है। यथा शीघ्र मांगों पर सकारात्मक शीघ्र आदेश जारी नहीं किये जाने पर महासंघ बैंकट आयोजित कर अनिश्चित कालीन आंदोलन करने का निर्णय लेने विवश होगी।

श्री धर्मनाथ जिनालय जगदलपुर की 50वीं वर्षगांठ निमित्त गुरु भगवन्तों का नगर प्रवेश

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। शहर के जैन मंदिर श्री धर्मनाथ जिनालय की 50 वीं वर्षगांठ मनाने व महोत्सव को अपनी निश्रा प्रदान करने उपाध्याय प्रवर महेन्द्र सागर म.सा., मनीष सागर म.सा. के सुशील विवेक सागर म.सा. आदि ठाण 4 का आज नगर प्रवेश हुआ छ पूज्य गुरु भगवन्त प्रातः 8.30 बजे समन्वय स्वामी मंदिर से रवाना होकर श्री धर्मनाथ जिनालया पहुंचे छ आपके साथ बड़ी संख्या में श्री श्वेताम्बर जैन समाज के अनुयायी भी थे छ रास्ते में जगह जगह आपका वंदन अभिनन्दन किया गया छ

श्री धर्मनाथ जिनालय पहुंचकर प्रभु दर्शन के पश्चात् स्वागत समारोह ज्ञान वल्लभ आराधना हॉल में आयोजित किया गया छ महिला मंडल के द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत के पश्चात् श्री श्वेताम्बर जैन समाज के अध्यक्ष भंवर बोथरा ने स्वागत भाषण में गुरु भगवन्तों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की कि संघ की विनती



स्वीकार कर आयोजन को निश्रा प्रदान करने आप उग्र विहार कर जगदलपुर पधारे छ आगे कहा कि इस अभूतपूर्व अवसर को हमें भित्तिर धूमधाम से मनाना है छ परम पूज्य विवेक सागर म.सा. ने अपने उद्बोधन में कहा कि 50 वर्ष पूर्व मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद धर्मनाथ दादा की कृपा से समाज ने बहुत उन्नति की है छ मैंने भी जब जगदलपुर प्रवास में प्रभु

की सेवा पूजा की थी तब अगले ही वर्ष जीवन में दीक्षा का सुयोग मिला और संयम मार्ग का आराधक बन गया छ श्री ऋषभ सागर जी म.सा. ने बताया कि स्वर्ण जयंती निमित्त पंचान्तिका महोत्सव से पहले 5 दिनों का ज्ञान शिविर होगा जिसमें परिवार में बेहतर सामंजस्य, बेहतर तालमेल कैसे हो जैसे विषयों को जानेंगे ताकि हम प्रसन्नता के साथ धर्म

मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें छ अंत में श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद डकलिया ने ज्ञान शिविर व मंदिर जी की वर्षगांठ के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी से इसे सफल बनाने में सहयोग देने की अपील की और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हेतु सबका आभार माना छ कार्यक्रम संचालन निमल लोढ़ ने किया।

बीमा कंपनी अदा करेगी 22 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा सोमवार को एक प्रकरण में मेमो एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर द्वारा आवेदिका को 22 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति एवं मानसिक पीड़ा हेतु 10 हजार र दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी भावना यादव द्वारा अपने जीव कोपार्जन हेतु श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर एक सेकंड हैंड ट्रक क्रय किया गया था, जिसका बीमा मैमो एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर के द्वारा किया गया था। आवेदिका का ट्रक एक सड़क दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसकी सूचना आवेदिका द्वारा थाना बोधघाट में एवं बीमा कंपनी को प्रदान की गई थी। जिस पर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन का रसॉट सर्वे एवं फाइनल सर्वे करवाया गया था। बीमा कंपनी ने आवेदिका द्वारा दस्तावेज उपलब्ध ना करवाए जाने के कारण क्षतिदावा

निराकृत नहीं नहीं किए जाने का आक्षेप लिया था। जिसे खुब्ब होकर आवेदिका द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने यह माना है कि आवेदिका द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को उपलब्ध करवाये जा चुके थे और बीमा कंपनी के द्वारा ऐसे दस्तावेजों की मांग की जा रही थी

जो दावे के निराकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। इस संबंध में भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीमा कंपनियां किसी भी दावे को दस्तावेज के अभाव में खारिज नहीं कर सकती हैं और बीमा कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वह ग्राहकों को पॉलिसी जारी करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर लें। लंबे

समय तक का आवेदिका को क्षतिपूर्ति दावे का भुगतान नहीं किए जाने के कारण आवेदिका को हर्ष मानसिक क्षति हेतु पृथक् से 10 हजार र दिए जाने का भी आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आशय का आदेश जारी किया गया है।

हथियार लहरा रहा आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर, 19 मई (दण्डकारण्य समाचार)। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में गुरु गोविन्द सिंह चौक के पास धारदार हथियार लहराकर डरा धमका कर गुंडा गद्दी करने वाले युवक को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।



बोधघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गुरु गोविन्द सिंह चौक के पास अपने पास एक लोहे का धारदार हथियार रखकर आने जाने वाले राहगीरों को डरा धमका रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम तैयार किया गया। मौके में घेराबंदी कर आरोपी राहुल मंडवी (25) निवासी सारवा इलेक्ट्रॉनिक के पीछे सरदार बल्लभ भाई पटेल वाड, जगदलपुर के कब्जे से एक धारदार लोहे का हथियार बंडा को जप्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।